न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर — तारीख रजू — तारीख निर्णय
4 / 2014 — 2.1.2014 — 25/8/25

शहजाद वगैरा
बनाम
शमी खां वगैरा

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी0पी0सी0

उपस्थित :– श्री बृजनन्दन दीक्षित, एडवोकेट, वादीगण की ओर से
श्री महेशचन्द अग्रवाल, एडवोकेट, वादीगण की ओर से
श्री विकास कुलश्रेष्ठ, एडवोकेट, प्रतिवादीगण की ओर से
श्री भानुकुमार सिंघल, एडवोकेट, प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी वादपत्र में प्रतिवादीगण अब्दुल शमी खां वगैरा की ओर से दिनांक 10.8.2018 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी0पी0सी0 इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी संख्या 1 लगायत 6 द्वारा हस्तगत वादपत्र यह कहते हुए प्रस्तुत किया गया है कि ख0नं0 673 रकबा 0.59 है0, ख0नं0 678 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 679 रकबा 1.07 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.93 है0 स्थित ग्राम चूली तहसील गंगापुर सिटी में स्थित है जो वादी एवं अन्य सहखातेदारों की भूमि है। प्रतिवादीगण ने जबरन दिनांक 6.11.2013 को ख0नं0 673 एवं ख0नं0 679 में कब्जा करने के उद्देश्य से नींव खोदना शुरू कर दिया। इस पर वादीगण द्वारा उपरोक्त वाद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया तथा वादपत्र की रिलीफ की मद संख्या क में यह अनुतोष चाहा गया कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीगण की खातेदारी की उपरोक्त वर्णित आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उतपन्न नहीं करें ना ही किसी अन्य से करावें तथा भूमि खण्डों में नींव खोदकर कृषि से अकृषि में परिवर्तित नहीं करें, निर्माण कार्य नहीं करें। वादपत्र में अंकित उक्त खसरा नम्बरान की खसरा गिरदावरी में पिछले काफी वर्षो से यानि दावा दायरी से काफी पूर्व समय से गैरमुमकिन आबादी दर्ज है। उक्त भूमि में पिछले करीब 30 वर्षो से कोई काश्त दर्ज नहीं हुई है, ना ही कोई खेती हुई है, ना ही कोई पैदावार हुई है। बल्कि उक्त भूमि में पिछले करीब 30 वर्षो से आवासीय कोलोनी बनी हुई है। इसमें विभिन्न लोगों के बहुत पुराने मकानात बने हुए है तथा आबादी बसी हुई है एवं राज्य सरकार द्वारा सरकारी धन से [illegible] आवासीय कोलोनी में सडक निर्माण करवाया जा चुका है, विद्युत लाईन [illegible] हुई है, पेयजल के लिए पानी की बोरिंग व दो सरकारी हैण्डपम्प [illegible] हुए है। इस तरह वादग्रस्त भूमि कृषि हेतु उपलब्ध भूमि नहीं है। उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा मौका भी देखा गया है जिसने अपनी रिपोर्ट में वादग्रस्त भूमि में आबादी होना पाया गया है। इससे पूर्णरूपेण स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि आबादी भूमि है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:18:38 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

आबादी भूमि हेतु राजस्व न्यायालय में उक्त वाद किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं है और विधि द्वारा बाधित होने से मय खर्चा खारिज होने योग्य है। स्थाई निषेधाज्ञा के दावे में वादग्रस्त भूमि पर दावा दायरी के दिन वादी का कब्जा होना पूर्ववर्ती शर्त है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कोई कब्जा भी नहीं है। वादपत्र के अवलोकन से व पटवारी रिपोर्ट से यह पूर्णरूपेण स्पष्ट है कि वादग्रस्त स्थल पर भूखण्ड काटे जा चुके हैं व आबादी बसी हुई हैं। इस कारण कब्जे के अभाव में प्रथम दृष्टया संचलित योग्य नहीं होता है और खारिज होने योग्य है। वादी ने वादग्रस्त भूमि ख0नं0 673, 678, 679 वादी एवं अन्य सहखातेदारों की भूमि बताई है लेकिन वादीगण ने मौजूदा दावे में सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है जो कि आवश्यक पक्षकार हैं। इस कारण नोन जोइन्डर आफ नैसेसरीज पार्टीज का नुक्स होने के कारण मौजूदा दावा संचलित योग्य नहीं है। वादीगण द्वारा वादपत्र में यह कहा गया है कि भू–प्रबन्ध अधिकारियों की गलती से स्व0 शिवप्रसाद का नाम वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया है। शिवप्रसाद की मृत्यु के बाद कैलाशचन्द का नाम अंकित कर दिया गया है। इन दोनों का वादग्रस्त भूमिखण्डों से कोई वास्ता नहीं रहा है। इस प्रकार वादी वादग्रस्त भूखण्डों की तन्हा खातेदारी भू–प्रबन्ध अधिकारियों की गलती से होना मानता है। राजस्व रिकार्ड में आज भी वादग्रस्त भूमि की खातेदारी वादीगण के अलावा सहखातेदारों के नाम है। वादीगण ने केवल स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु वाद प्रस्तुत किया है, भू–प्रबन्ध द्वारा की गई गलती को सुधरवाने हेतु इन्द्राज दुरूस्ती व घोषणां का दावा भी आज तक पेश नहीं किया है बल्कि उक्त भूमि के बाबत् सहखातेदारान ने ही आपस में एकदूसरे के विरूद्ध मुकदमे कर रखे हैं। इस कारण मौजूदा दावा वार्ड वाई ला होने से प्रथम दृष्टया खारिज होने योग्य है। वादीगण ने दिनांक 6.11.2013 को प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में नींव खोदने के आधार पर वादकारण उत्पन्न होना बताते हुए यह वाद प्रस्तुत किया है जो बिल्कुल झूंठा है जो इस बात से स्पष्ट है कि दि0 6.11.2013 से बीसो वर्षो पूर्व वादग्रस्त भूमि में भूखण्ड काटे जा चुके हैं एवं विभिन्न लोगों द्वारा उन पर पुख्ता मकान का निर्माण किया जा चुका है जो मौके स्थिति से पूर्णरूपेण स्पष्ट है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी प्रार्थना पत्र में लिखे तथ्यों के आधार पर खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रतिवादीगण ने फोटोकोपी जमाबंदी सं0 2066 से 2069 खाता संख्या 151, 603, फोटोकोपी नकल फर्द मौका दिनांक 6.4.2017, दिनांक 25.11.2016, फोटोकोपी प्रमाणपत्र क्रमांक प0अ0/ ए1/ राजस्व/ 4713 दिनांक 28.1.14 कार्यालय सहायक अभियन्ता–प्रथम, जे0वी0वी0एन0 एल0 गंगापुर सिटी, प्रमाणित प्रतिलिपि आदेशिका दिनांक 17.11.2014 से दि0 27.5.2015 मय दावा उनवानी कृष्णसिंह बनाम नाथूलाल वगैरा, न्यायालय एस0डी0ओ0 गंगापुर सिटी, प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा गिरदावरी सं0 2046 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:18:38 IST
Reason: Self Attested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (राज0)

2049, 2050 से 2053, 2054 से 2057, 2058 से 2061, 2062 से 2065, 2066
से 2069 प्रस्तुत किए हैं।

वादिया संख्या 3 शहनाज बानो की ओर से दिनांक 14.5.2019 को इस
प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत किया गया। अपने जबाब में वादिया ने अंकित
किया है कि कानूनन विधि अनुसार जब तक भूमि की किस्म परिवर्तन न हो
तब तक वह भूमि कृषि भूमि ही कहलाएगी। भूमि का इन्द्राज खातेदारी
जमाबंदी में खातेदारों के नाम है, किस्म भूमि गैरमुमकिन बारानी दर्ज है,
सिवायचक दर्ज नहीं है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा है इसलिए
दरख्वास्त देहन्दा का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत
नहीं आता है। वाद में किसको पक्षकार बनाया जावे, किस को नहीं यह
अधिकार वादीगण को है। इस कारण वादीगण का वाद इस न्यायालय में
सुनने योग्य है। अतः प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र
खारिज फरमाया जावे।

वादिया संख्या 3 के अतिरिक्त अन्य वादीगण ने प्रार्थना पत्र का जबाब
दिनांक 11.6.2019 को प्रस्तुत किया है। इस जबाब में अंकित किया गया है
कि हस्तगत वाद विधि द्वारा बाधित न होकर पूर्णतः संचलित योग्य है।
वादीगण वादग्रस्त भूमि पर काबिज खातेदार हैं। पटवारी से साजिशी रूप से
गलत रिपोर्ट प्रतिवादीगण द्वारा करवाई गई है। जबाब के विशेष विवरण में
अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के तथ्यों के बाहर पेश
किया गया है। इन्हेरेन्ट पावर का भी अदालत इस्तेमाल नहीं कर सकती
क्योंकि विवादित भूमि खण्ड कृषि भूमि होने के कारण आज भी राजस्व
रिकार्ड में खातेदारी में अंकित है, किस्म भूमि अवश्य गैरमुमकिन बारानी
रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि आबादी में आज तक परिवर्तित नहीं हुई है।
इस प्रकार न्यायालय हाजा को उक्त वाद सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
मुकदमे को देरीना करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
प्रतिवादीगण का विवादित भूमि खण्ड से किसी प्रकार का कोई ताल्लुक
वास्ता नहीं है, जबरन लठ व ताकत के बल पर वे प्रार्थीगण की खातेदारी
भूमि को हडपना चाहते हैं। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व 151 सी0पी0सी0 खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व 151 सी0पी0सी0 पर बहस
विद्वान अभिभाषगण उभयपक्ष सुनी गई।

प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के
अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि ख0नं0 673 रकबा 0.59 है0,
ख0नं0 678 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 679 रक[illegible] है0 ग्राम चूली वादी एवं
अन्य सहखातेदारों की भूमि है। वादग्रस्त [illegible] में वादीगण ने
स्थाई निषेधाज्ञा की रिलीफ चाही है जबकि [illegible] दिनांक 2.1.2014 से
काफी समय पूर्व से ही वादग्रस्त आराजी गैरमु[illegible]किन आबादी दर्ज है। करीब
30 वर्षो से अधिक समय से भूमि में कोई काश्त नहीं हुई है, भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:18:38 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (राज0)

आवासीय कालोनी बसी हुई है, विद्युत लाइनें बिछी हुई है, सडकें बनी हुई है जिसकी पुष्टि मौका रिपोर्ट दिनांक 25.11.2016, दिनांक 6.4.2017 से भी होती है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा नहीं है एवं वादग्रस्त भूमि कृषि कार्य में नहीं आ रही है। इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के तहत चलने योग्य नहीं है, फलस्वरूप प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे।

वादीगण के अभिभाषकगण ने अपनी बहस में कहा कि वादग्रस्त भूमि कृषि से अकृषि में या आबादी में परिवर्तित नहीं हुई है इसलिए इसे कृषि भूमि ही माना जावेगा एवं कृषि भूमि से सम्बन्धित मुकदमा राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है । अपने कथन के समर्थन में वादीगण के विद्धान अभिभाषकगण ने न्याय दृष्टान्त 2009(1) डीएनजे(राज0) पेज 410, पेज 231 प्रस्तुत किए हैं। वादीगण के विद्धान अभिभाषगण ने अपनी बहस में आगे कहा कि प्रतिवादीगण ने मुकदमे को देरीना करने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किए जाने योग्य है। अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। वादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबंदी सं0 2066 से 2069 खाता संख्या 151, 603 के अनुसार भूमि ख0नं0 673, 678, 679 वादीगण की खातेदारी की भूमि है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल खसरा गिरदावरी सं0 2046 से 2049 लगायत 2058 से 2061 के अनुसार ख0नं0 679 का सम्पूर्ण रकबा 1.07 है0 गै0मु0 आबादी दर्ज है। अर्थात सन् 1989 से 1992 से यह भूमि खसरा गिरदावरी में गै0मु0आबादी दर्ज है। नकल खसरा गिरदावरी सं0 2046 से 2049 लगायत 2058 से 2061 के अनुसार ख0नं0 678 रकबा 0.27 है0 में से 0.10 है0 भूमि गै0मु0 व 0.17 है0 भूमि बंजड दर्ज है। अर्थात सन् 1989 से 1992 से यह भूमि काश्त नहीं हुई है। इसी प्रकार नकल खसरा गिरदावरी सं0 2062 से 2065 के अनुसार (अर्थात सन् 2005 से 2008) भूमि ख0नं0 673 रकबा 0.59 है0 गै0मु0आबादी दर्ज है। इसी प्रकार पटवारी हलका व हलका गिरदावर की ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 25.11.2016 व दिनांक 6.4.2017 के अनुसार ख0नं0 673 में आबादी है, ख0नं0 678, 679 में आंशिक आबादी तथा ख0नं0 678 का आंशिक भाग कोलोनी के रास्ते के काम आ रहा है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत किए गए ये दस्तावेजात राजस्व अभिलेख की नकलें हैं जिनकी सत्यता पर वादीगण ने भी कोई संदेह जाहिर नहीं किया है एवं इन दस्तावेजों का वादीगण ने विरोध भी नहीं किया है। ऐसी स्थिति में इन दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा ख0नं0 673, 678, 679 के लिए स्थाई निषेधाज्ञा का जो वाद प्रस्तुत किया है उसमें इन नम्बरों पर वादीगण के वाद प्रस्तुत करने से पूर्व से ही कृषि कार्य नहीं हो रहा है अर्थात

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:48:38 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (राज0)

ये भूमि कृषि कार्य में उपयोग में नहीं ली जा रही है। ऐसी स्थिति में वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है तथा आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के प्रावधानों से हिट होता है। फलस्वरूप प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 10.8.2018 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णितशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/6/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:18:38 IST
Reason: SelfAttested